

सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 एवं गगि वरकरूस

प्रलिमिस के लयि:

गगि वरकरूस, सामाजिक सुरक्षा, करुमचारी भवषिय नधि, गरीब कल्याण रोजगार अभयान, ई-शरुम पोर्टल, वेतन संहति अधनियिम, 2019 ।

मेनुस के लयि:

सामाजिक सुरक्षा संहति, 2020 ।

चरुचा में क्यौं?

हाल ही में शरुम और रोजगार राज्य मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कसामाजिक सुरक्षा संहति (SS), 2020 में पहली बार 'गगि वरकरूस' और 'प्लेटफॉरुम वरकरूस' की परभिषा प्रदान की गई है ।

सामाजिक सुरक्षा संहति, 2020 के तहत प्रावधान:

■ उद्देश्य:

○ इस संहति का उद्देश्य संगठति/असंगठति (या कसिी अनुय) कषेत्रों को वनियिमति करना और वभिन्नि संगठनों के सभिकरुमचारयिों और शरुमकिों को बीमारी, मातृत्व, वकिलांगता आदि के दौरान सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है ।

■ शरुम कानूनों का एकीकरण: यह संहति, सामाजिक सुरक्षा से संबंधि नमिनलिखति 9 शरुम कानूनों को एकीकृत करने का कार्य करती है:

- करुमचारी मुआवजा अधनियिम, 1923
- करुमचारी राज्य बीमा अधनियिम, 1948
- करुमचारी भवषिय नधि और वविधि प्रावधान अधनियिम, 1952
- करुमचारी वनियिम (रक्तिथिों की अनवार्य अधसूचना) अधनियिम, 1959
- मातृत्व लाभ अधनियिम, 1961
- ग्रेच्युटी भुगतान अधनियिम, 1972
- सनिमा करुमकार कल्याण नधि अधनियिम, 1981
- भवन और अनुय सन्नरिमाण करुमकार उपकर अधनियिम, 1996
- असंगठति शरुमिक सामाजिक सुरक्षा अधनियिम, 2008

■ कवरेज और प्रयोज्यता:

- संहति ने अनुबंध करुमचारयिों के अलावा असंगठति कषेत्र, नशिचति अवधिके करुमचारयिों और गगि वरकरूस, प्लेटफॉरुम वरकरूस, अंतरराज्यीय प्रवासी शरुमकिों को शामिल करके कवरेज को बढ़ाया है ।
- यह संहति प्रतष्ठान में मज़दूरी पाने वाले सभी लोगों पर लागू होती है, भले ही उनका व्यवसाय कुछ भी हो ।

■ संशोधति परभिषा:

- करुमचारयिों के संबंध में: 'करुमचारी' शब्द के अंतरगत अब अनुबंध के माध्यम से नयिोजति करुमचारी भी शामिल हैं ।
- अंतरराज्यीय प्रवासी शरुमकिों के संबंध में: इसमें दूसरे राज्य से पलायन कर चुके स्व-नयिोजति शरुमकि भी शामिल हैं ।
- गगि वरकरूस: घंटे के हिसाब से अथवा अस्थायी काम करने वाले फ्रीलांसर और स्वतंत्र ठेकेदार आदि को गगि वरकरूस के रूप में समूहीकृत कथिा गया है जो एक गैर-पारंपरिक नयिोकता-करुमचारी संबंध साझा करते हैं ।
- प्लेटफॉरुम वरकरूस: वे करुमचारी जो अपने ग्राहकों से जुडने के लयि एप अथवा वेबसाइट का उपयोग करते हैं, उन्हें प्लेटफॉरुम वरकरूस के रूप में वर्गीकृत कथिा जाता है ।
- चूँकि कई प्रकार के व्यवसाय इस दृष्टिकोण का उपयोग करना शुरू कर रहे हैं, इसलिये शरुम मंत्रालय इस संहति के तहत और श्रेणयिों शामिल करने पर वचिार कर रहा है ।

■ डिजिटलइज़ेशन:

- सभी रिकॉर्ड और रटिर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखने होंगे। डेटा के डिजिटलीकरण से सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न हतिधारकों/फंडों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान में मदद मिलेगी, अनुपालन सुनिश्चित होगा एवं शासन को भी सुविधा मिलेगी।

■ मातृत्व लाभ:

- मातृत्व लाभ के प्रावधान को सार्वभौमिक नहीं बनाया गया है और वर्तमान में यह 10 अथवा उससे अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू है।
- प्रस्तावित संहिता में 'स्थापना' की परिभाषा में असंगति क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है।
- इसलिये असंगति क्षेत्र में कार्यरत महिलाएँ मातृत्व लाभ के दायरे से बाहर होंगी।

■ कठोर दंड:

- कर्मचारियों के योगदान को जमा करने में विफल रहने की स्थिति में न केवल 100,000 रुपए के जुर्माना का प्रावधान है, बल्कि 1-3 वर्ष की कैद भी होती है। बार-बार किये जाने वाले अपराध के मामले में दंड एवं अभियोजन दोनों ही गंभीर हैं और इस प्रकार के अपराधों के लिये किसी भी प्रकार के समझौते की अनुमति नहीं है।

SS संहिता से संबंधित चिंताएँ:

- कुछ लाभों को अनिवार्य बनाने के लिये स्थापना के आकार के आधार पर संहिता में अभी भी सीमाएँ हैं।

- इसका मतलब यह है कि **पेंशन और चिकित्सा बीमा** जैसे कुछ लाभ केवल नश्चित न्यूनतम संख्या में कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिये अनिवार्य हैं, इस प्रकार बड़ी संख्या में श्रमिकों को छोड़ दिया जाता है।

- इसके अतिरिक्त संहिता कर्मचारियों को एक ही प्रतिष्ठान के भीतर उनके वेतन के आधार पर अलग तरह से मानते हैं। केवल एक नश्चित सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले कर्मचारियों को ही अनिवार्य लाभ प्राप्त होंगे।
- सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण अभी भी **केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और सामाजिक सुरक्षा बोर्ड** जैसे कई निकायों द्वारा खंडित तथा प्रशासित है। यह श्रमिकों के लिये उन लाभों को प्राप्त करना भ्रमति एवं कठिन बना सकता है जिनके वे हकदार हैं।

भारत में गगि इकॉनमी की स्थिति:

■ परिचय:

- गगि इकॉनमी एक श्रम बाज़ार है जो पूर्णकालिक स्थायी कर्मचारियों के बजाय **स्वतंत्र ठेकेदारों और फ्रीलांसरों** द्वारा भरे गए अस्थायी और अंशकालिक पदों पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

■ गगि इकॉनमी और भारत:

- भारत में गगि इकॉनमी हाल के वर्षों में तेज़ी से बढ़ रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बढ़ती उपलब्धता के साथ जो व्यक्तियों को **फ्रीलांस या पार्ट-टाइम आधार पर अपनी सेवाएँ देने** की अनुमति देता है।
- **बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट** के अनुसार, भारत के गगि वर्कफोर्स में सॉफ्टवेयर, साझा सेवाओं और पेशेवर सेवाओं जैसे उद्योगों में कार्यरत **15 मिलियन कर्मचारी** शामिल हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन** की एक रिपोर्ट के अनुसार, **भारत की गगि इकॉनमी वर्ष 2025 तक 23% बढ़ने** की उम्मीद है।

■ गगि इकॉनमी के ग्रोथ ड्राइवर्स/संवृद्धि कारक:

- इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी का प्रसार
- आर्थिक उदारीकरण
- लचीले काम की बढ़ती मांग
- ई-कॉमर्स का विकास
- बढ़ती युवा, शक्ति और महत्वाकांक्षी जनसंख्या जो अतिरिक्त आय सृजन के साथ आजीविका में सुधार करना चाहती है

■ चुनौतियाँ:

- नौकरी की सुरक्षा का अभाव, अनियमित वेतन और अनश्चित रोजगार की स्थिति
- उपलब्ध कार्य और आय में न्यमितता से जुड़ी अनश्चितता के कारण तनाव
- **संवैधानिक संबंध** के कारण **कार्यस्थल अधिकारों का अभाव**
- इंटरनेट और डिजिटल तकनीक तक सीमित पहुंच

■ गगि अर्थव्यवस्था और महिलाएँ:

- गगि रोजगार अंशकालिक काम और लचीले कामकाजी घंटों की अनुमति देता है जिससे महिलाएँ रोजगार के साथ अपनी **पारंपरिक भूमिकाओं** को संतुलित कर सकती हैं।
- यह महिलाओं को बनिा मांग के काम प्रदान करता है जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार वर्कफोर्स में शामिल हो सकती हैं और छोड़ सकती हैं।

- गगि रोज़गार महिलाओं को अतरिकित आय अरुजति करने में मदद करता है, आत्मवशिवास बढ़ाता है और इस प्रकार नरिणय लेने की शक्ति देता है साथ ही महिला सशक्तीकरण के सभी महत्त्वपूर्ण घटकों को एकीकृत करता है।
- वर्क फ़ॉर्म होम (WFH) और प्रौद्योगिकी पूरक गगि रोज़गार ने यात्रा और रात की पाली के दौरान सुरक्षा के मुद्दे को संबोधति कयिा है।

आगे की राह

- **SS संहति 2020 अनौपचारिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा** के तहत लाने की कोशशि करती है, लेकिन यह सामाजिक सुरक्षा को सार्वभौमिक बनाने के अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाता है। भारत उचित सामाजिक सुरक्षा के बनिा वृद्ध जनसंख्या का सामना कर रहा है, और वर्तमान कार्यबल भवषिय में इसका समर्थन करने में सक्षम नहीं होगा। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से कार्यबल को औपचारिक बनाने में मदद मलि सकती है।
- नयिोक्ताओं को अपने **श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा** प्रदान करने की ज़मिमेदारी लेनी चाहयि क्योकवे उनकी उत्पादकता से लाभान्वति होते हैं। जबकिसरकार की एक भूमिका है, नयिोक्ताओं की प्राथमिक ज़मिमेदारी है।
- जबकगिगि इकॉनमी व्यक्तियों को आजीविका अरुजति करने और काम में लचीलापन हासलि करने के कई अवसर प्रदान करती है, भारत में गगि वर्कर्स के लयि बेहतर वनियमन और सुरक्षा की आवश्यकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रयिा में 'गगि इकॉनमी' की भूमिका का परीक्षण कीजयि। (2021)

स्रोत: पी.आई.बी

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/code-on-social-security-2020-and-gig-workers>

